[2021] 7 एस. सी. आर. 1115

XXX

बनाम

केरल राज्य और अन्य ।

(आपराधिक अपील सं. 1444/2021)

22 नवंबर, 2021

[न्यायमूर्तिगण विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस]

अभ्यास और प्रक्रिया-पहले के आदेश को वापस करना-दिनांक 20.04.2021 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा एक विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश द्वारा खारिज की गई एफ़. आई. आर.-इसके बाद, 28.04.2021 पर, उच्च न्यायालय ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और दिनांक 20.04.2021 के आदेश को वापस ले लिया- इसका औचित्य: धारा 362 सी. आर. पी. सी., के मद्देनज़र यह उचित निर्णय और आदेश नहीं । एक बार पारित होने के बाद न्यायालय के पास आदेश को बदलने की शक्ति नहीं है, सिवाय लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने के अलावा कोई शक्ति नहीं है।362 सी. आर. पी. सी. के अधीन केवल किसी लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि के सुधार का प्रावधान है उसी अदालत को पारित पहले के आदेश को वापस लेने का अधिकार नहीं देता है और वह भी स्वतः ही-उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से पहले के आदेश 20.04.2021 को वापस ले लिया गया था-दिनांक 28.04.2021 के आदेश को निरस्त कर दिया गया-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 362 ।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2021 की आपराधिक अपील संख्या 1444

केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम के दिनांकित 28.04.2021 के आपराधिक निर्णय और आदेश से। 2020 का एमसी सं. 5866 ।

रजित, वैभव नीति, अब्राहम मथान, जस्टिन जॉर्ज, सुश्री माधवी अग्रवाल, दिव्यांशु अग्रवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए।

जी. प्रकाश, सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, आनंद कल्याणकृष्णन, वेदांत सिंह, विशिष्ट सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण के लिए ।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

<u>आदेश</u>

अनुमति दी गई ।

प्रत्यर्थी द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

धारा 482 सी. आर. पी. सी एक निर्णय और दिनांक 20.04.2021 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर लिया और प्राथमिकी को रद्द कर दिया। इसके बाद 28.04.2021 को उच्च न्यायालय ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया और 20.04.2021 के आदेश को वापस ले लिया।इसे चुनौती देते हुए, विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील दायर की गई है ।

हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता तथ्य पर विवाद नहीं करते और स्वीकारते हैं कि धारा 362 सी. आर. पी. सी को ध्यान मे रखते हुए न्यायालय के पास लिपिक या अंकगणितीय त्रुटियाँ ठीक कर अतिरिक्त एक बार पारित निर्णय या आदेश बदलने की शक्ति नहीं है । वर्तमान मामले में, दिनांक 20.04.2021 के निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत तर्कपूर्ण आदेश द्वारा प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था, जिसे दिनांक 28.04.2021 के विवादित आदेश द्वारा वापस ले लिया गया है।धारा 362 सी. आर. पी. सी के तहत केवल किसी लिपिक या अंकगणितीय त्रुटि को सुधारने का प्रावधान करती है । इसके अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है, यही अदालत को प्रतियोगिता के बाद पारित पहले के आदेश को वापस लेने का अधिकार नहीं देता है और वह भी स्वतः ही।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि दिनांकित 28.04.2021 विवादित आदेश पारित नहीं किया जा सकता था और 20.04.2021 दिनांकित पिछले आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से वापस ले लिया गया है। तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है । 28.04.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

बिभूति भूषण बोस अपील की अनुमति दी गई ।